

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 67 वर्ष 2022

आवेदक-लखन महतो वगैरह
 ग्राम - पेंक
 थाना - नावाडीह जिला-बोकारो

क्रेता- जानकी देवी वगैरह
 ग्राम- पेंक
 थाना -नावाडीह जिला- बोकारो

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।

03

02

आदेश

यह वाद आवेदकगण 01. लखन महतो 02. दुलार महतो उर्फ दुलारचन्द महतो दोनों के पिता स्व0 नेमा महतो 03 लुखरी देवी पति स्व0 सोमर महतो उर्फ हुलास महतो 04. चुनरी देवी पति स्व0 जोधी महतो निवासी ग्राम पेंक थाना नावाडीह जिला -बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:-

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
पेंक	05	06	1457	21½ डी0	16 1/8 डी0	

को वे अपने पारिवारिक खर्च हेतु मो0 1,05,000/- (एक लाख पाँच हजार) रुपये में क्रेतागण - 01. जानकी देवी पति मंगर महतो 02. सीता देवी पति स्व0 टेकलाल महतो निवासी ग्राम पेंक थाना नावाडीह जिला- बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 219/रा0 दिनांक 25.02.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी, नावाडीह से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, नावाडीह के पत्रांक 117 दिनांक 21.11.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों ग्राम पेंक एवं दोनों थाना-नावाडीह जिला-बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में गुरुदयाल महतो वल्द गंगाराम महतो के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी भोटन महतो के नाम से पंजी-II में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है। बिक्रेता को यह भूमि केवाला द्वारा हासिल है।
03. जमाबन्दीधारी रैयत से बिक्रेता का दादा-ससुर का संबंध है। बिक्री वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है जिसपर बिक्रेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है। उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके पूर्वज गुरुदयाल महतो के नाम से सर्वेखतियान में

दर्ज है तथा जमाबन्दी भोटन महतो के नाम से चल रही है। बिक्री वाली जमीन उसके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं। बिक्रेता के द्वारा एक शपथ पत्र समर्पित किया गया है जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि दुलार महतो एवं दुलार चन्द महतो दोनों एक ही व्यक्ति हैं एवं वे दोनों के नाम से जाने जाते हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. विक्रेता- भोटन महतो के नाम केवाला की छायाप्रति, भोटन महतो के नाम लगान रसीद की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता- जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी नावाडीह से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा वे दोनों एक ही ग्राम, थाना एवं जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के केवाला जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदकगण 01. लखन महतो 02. दुलार महतो उर्फ दुलारचन्द महतो दोनो के पिता स्व0 नेमा महतो 03 लुखरी देवी पति स्व0 सोमर महतो उर्फ हुलास महतो 04. चुनरी देवी पति स्व0 जोधी महतो निवासी ग्राम पेंक थाना नावाडीह जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि :-

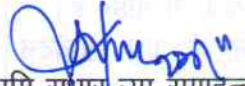
मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
पेंक	06	1457	21½	16 1/8	प्रीतम महतो	रास्ता	बिरसाही महतो	नीज लेख्यधारिणी

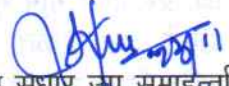
कुल (सोलह पूर्णांक एक बटा आठ) डिसमिल जमीन मात्र।

मो0 1,05,000/- (एक लाख पाँच हजार)रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेतागण- 01. जानकी देवी पति मंगर महतो 02. सीता देवी पति स्व0 टेकलाल महतो निवासी ग्राम पेंक थाना नावाडीह जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।